



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 गी मॉडर्न, पतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महारशी करवे रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र. - (022)22039680, फॅक्स - 22086984.  
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

2<sup>nd</sup> Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharsi Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No. - (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/22/FREED/61204657/Rajasthan/जा.सं.

/61089740  
04/11/2022

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,  
लेखा-को भवन, ए विंग,  
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,  
मुंबई-400 051.

विषय — **Increase in Pension from 25000/-p.m. to 50000/- p.m.to the Freedom Fighters and their dependents with effect from 01/04/2021. ( No change in Medical Allowance).**

संदर्भ — **Govt. of Rajasthan, Gen Administration (Group 6) Div. Order No.प.4(4)साप्र/6/2008 dated 26/03/2021.**

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Rajasthan** के पत्र संख्या **पेंशन प्राधि।स्टेट/एफ.एफ.गार्ड/2021-22/1033** दिनांक **12/07/2022** द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है।
3. सभी **Rajasthan** सरकार के **Freedom Fighter** पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।
4. **The said orders have been uploaded on this office website i.e.agmaha.cag.gov.in.**  
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,  
मुस्तफा खान

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/22/Govt/61204657/Rajasthan/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
8. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5<sup>th</sup> Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya - 32. 10.  
महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , Rajasthan के पत्र संख्या पेंशन प्राधि।स्टेट/एफ.एफ.गार्ड/21-22/1033 दिनांक 12/07/2022.

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 4(4)साप्र/6/2008

जयपुर, दिनांक 26.03.2021

निदेशक,  
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2019 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रु. 25,000/- को बढ़ाकर 50,000/- रुपये (अक्षरों पचास हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व में देय चिकित्सा राशि रु. 5000/- प्रतिमाह यथावत रहेगी। उक्त स्वीकृति 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई0डी0 क्रमांक 102101244 दिनांक 10.03.2021 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय

(राजीव शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढ़ी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाएं।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव